सं0– 16/क्यू2–16/2011–
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

विषय :- संविदा के आधार पर नियुक्त आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सकों का मानदेय की राशि रू0 15,000/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 28,000/– (अट्ठाइस हजार) प्रतिमाह करने के सम्बन्ध में।

विभागीय संकल्प संख्या – 260 (वै0चि0) दिनांक – 22.03.2007 द्वारा संविदा/अनुबंध पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथी) का मानदेय रू0 15000/– (पंद्रह हजार) प्रतिमाह निर्धारित किया गया था।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या – 3/एम–78/2005–2401 का0 दिनाक – 18.07.2007 के अनुसार गठित त्रिसदस्यीय समिति की बैठक दिनांक – 04.10.2012 में लिए गए निर्णय के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्त आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सकों का मानदेय प्रतिमाह रू0 15,000/– से बढ़ाकर रू0 28,000/– (अट्ठाइस हजार) निर्धारित किया जाता है।

2. यह आदेश दिनांक 01.12.2012 के प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–
(बिमला प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 16/क्यू2–16/2011– 993 (10 Inc) /पटना, दिनांक – 30/11/12

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/राज्य प्रोग्राम पदाधिकारी, आयुष, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, प0क0, के निजी सहायक /संयुक्त सचिव, स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक, देशी चिकित्सा के निजी सहायक/उप निदेशक (आयुर्वेद)/प्रशाखा पदाधिकारी –16 को सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/12
सरकार के संयुक्त सचिव
30/11/12